

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
	30/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्थी एवं उनके अधिवक्ता की मकान रिपोर्ट अज्ञप्त हो पत्रावली वापस खर्च पर लगी रिपोर्ट दिनांक 27/9/24 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई P.O. सा. राजकीय कार्यालय दौरे पर पधारे हुए हैं। अतः फर्द आदेशानुसार पत्रावली दि. 6.12.24 को पेश हो</p>	
	22/24 6.12.24	<p>पत्रावली पेश हुई। पार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपायित। प्रकरण में सुल पाद अन्तर्गत भारंशा 9 नियम-3 के तहत अदम दायरी व अदम पेंसि में खारिज किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भी अदम दायरी व अदम पेंसि में खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रैसल नुमार होकर नंबर ले कम होकर यासिल यन्तर हो।</p>	
		<p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	